प्रेस नोट दिनांक 25.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई – गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, एक पर था ₹50,000 का इनाम-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद पुलिस को दो महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त हुई हैं।

थाना रानीगंज पुलिस व बीट आरक्षी की सतर्कता से गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

बीट आरक्षी कृष्णकांत यादव की सक्रियता एवं सतर्क निगरानी के फलस्वरूप थाना रानीगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट, थाना रानीगंज में वांछित अभियुक्त विजय शंकर पुत्र सधई, निवासी ग्राम टेउंगा, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ (उम्र करीब 45 वर्ष) को कछरा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त पर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत जनपद के विभिन्न थानों में कुल 05 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा आरक्षी कृष्णकांत यादव को उनकी सराहनीय कार्यवाही हेतु प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक रानीगंज अर्जुन सिंह मय हमराह उ0नि0 फिरोज खाँ, का0 आयुष यादव व का0 प्रदीप कुमार चालक हे0का0 कमलेश यादव

एसटीएफ प्रयागराज व थाना महेशगंज पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में ₹50,000 के इनामी अपराधी की गिरफ्तारी

एसटीएफ प्रयागराज व थाना महेशगंज पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में अंतर्जनपदीय इनामी गैंगस्टर अभियुक्त अरशद उर्फ अशद पुत्र मंगरु, निवासी मुबारकपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज (उम्र करीब 40 वर्ष) को ग्राम अन्नावा (हनुमान मंदिर के पास), थाना महेशगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ में गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं में कुल 06 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।

अभियुक्त अरशद की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र द्वारा ₹50,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

एसटीएफ टीम प्रयागराज उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह हे0का0 हबीब सिद्दिकी, हे0का0 संतोष कुमार, हे0का0 पंकज तिवारी, हे0का0 प्रवीण जायसवाल, हे0का0 अजय कुमार यादव, चालक का0 रविकान्त सिंह,

थानाध्यक्ष महेशगंज मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह हे0का0 शिवेन्द्र सिंह चालक का0 विशाल कुमार यादव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ

सोशल मीडिया पर भड़काऊ धार्मिक पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

आईटी एक्ट व बीएनएस की गंभीर धाराओं में वांछित अभियुक्त शुकुलपुर चौराहे से गिरफ्तार

अभियुक्त द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक, आपत्तिजनक, भड़काऊ पोस्ट शेयर किया था। जिसके संबंध में थाना अंतू पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2025 को वादी द्वारा थाना अंतू पर तहरीर दी गई थी कि आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक, आपत्तिजनक, भड़काऊ पोस्ट शेयर किया था। जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 174/25 धारा धारा,353(2). 197(1), 302, 152 बीएनएस व 69 (a), 67 आईटी एक्ट बनाम हसरत अली पुत्र लल्लू नि0 ग्राम संग्रामपुर किला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अंतू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में निरी0 विनोद कुमार यादव मय हमराह कां० नागेन्द्र यादव व कां० उपेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश अभियुक्त/वारण्टी, विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू के मु0अ0सं0 174/25 धारा धारा,353(2). 197(1), 302, 152 बीएनएस व 69 (a), 67 आईटी एक्ट से सं ंबंधित 01 अभियुक्त हसरत अली पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ लल्लू उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम संग्रामपुर किला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत शुकुलपुर चौराहे के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हसरत अली पुत्र अब्दुल हमीद उर्फ लल्लू उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम संग्रामपुर किला थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

निरी0 विनोद कुमार यादव मय हमराह कां० नागेन्द्र यादव व कां० उपेन्द्र यादव थाना अंतू, प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

सरकारी कुएं में मिले शव की घटना का खुलासा — दो आरोपी पुलिस गिरफ्त में-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा हत्या करने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत धनऊपुर नाहरपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 22.5.2025 को आरोपीगण गुड्डू सिंह पुत्र राम अभिलाष सिंह व अनिल पाण्डेय (झुन्ना) पुत्र राजाराम पाण्डेय नि. चन्दीपुर गोविन्दपुर (सिंघापुर) थाना रानीगंज प्रतापगढ़ द्वारा थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत धनऊपुर सरकारी कुंआ के पास वादिनी का लड़के को जबरन शराब पिलाई थी एवं वादिनी का लड़का शाम तक घर नही आया था। खोजबीन के बाद धनऊपुर सरकारी कुंए से वादिनी के लडके का शव को बरामद किया गया। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/2025 धारा 103 (1), 238 बीएनएस व 3 (1) द, 3 (1)ध,3 (2) V SC/ST ACT बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 विकास निषाद मय हमराह का० दशरथ पटेल व का० धुर्वेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश अभियुक्त/वारण्टी, विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात के मु0अ0सं0 113/2025 धारा 115 (2), 352,351 (2), 333,103 (1) बीएनएस से सं ंबंधित 02 अभियुक्तों, 01. गुड्डू उर्फ संजीव सिंह पुत्र रामअभिलाख उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम धनऊपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़, 2. अनिल पाण्डेय उर्फ झुन्ना पुत्र राजारामै पाण्डेय उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम चंदी गोविन्दपुर (सिंघापुर) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत धनऊपुर नाहरपुर नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. गुड्डू उर्फ संजीव सिंह पुत्र रामअभिलाख उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम धनऊपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

2. अनिल पाण्डेय उर्फ झुन्ना पुत्र राजारामै पाण्डेय उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम चंदी गोविन्दपुर (सिंघापुर) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 विकास निषाद मय हमराह का० दशरथ पटेल व का० धुर्वेश कुमार थाना फतनपुर , प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार एवं 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत बलीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादिनी के परिवार के सदस्यों को विपक्षीगण श्याम सिंह पुत्र रामसुन्दर सिंह आदि से रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। जिसको लेकर दिनांक 21.01.2025 को विपक्षीगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें विपक्षीगण सुलह करने के लिए बराबर दबाव बनाते रहे। वादिनी के द्वारा सुलह न करने के कारण दिनांक 23.05.2025 को वादिनी के लड़के को विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर जान से मारने नीयत से लाठी, डण्डा से हमला कर दिए। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 88 / 2025 धारा 191 (2) / 191(3)/190/127(2)/109/117(2)/352/351 (3) बी0एन0एस बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह का मानवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 88 / 2025 धारा 191 (2) / 191(3)/190/127(2)/109/117(2)/352/351 (3) बी0एन0एस में वांछित अभियुक्तों 01- ऋतिक सिंह उर्फ कान्हा सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान बेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को बलीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया एवं व 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- ऋतिक सिंह उर्फ कान्हा सिंह निवासी ग्राम कनपुरियान बेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

02- 02 बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 विवेक पाण्डेय मय हमराह का मानवेन्द्र सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत नरवल तिराहे से गिरफ्तार किया गया

घटना में प्रयुक्त 03 अदद बाँस का डण्डा बरामद

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 23.05.2025 को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरवल में वादी के परिजनों को विपक्षीगणों द्वारा गाली गलौज करते हुए, जान से मारने की नियत से एक राय होकर लाठी, डण्डा, व लोहे की रॉड से हमला किये। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 77/25 धारा 191(2), 115(2), 333, 109(1), 110, 352, 351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद व 02 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह उ0नि0 घनश्याम यादव, का0 गिरजाशंकर, का0 गिरीश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर में पंजीकृत मु0अ0स0 77/25 धारा 191(2), 115(2), 333, 109(1), 110, 352, 351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 01- मोहित सिंह पुत्र रावेन्द्र सिंह उम्र करीब 28 वर्ष, 02- रोहित सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र गोविन्द सिंह उम्र करीब 29 वर्ष, 03- बलराम सिंह पुत्र राकेश सिंह उम्र करीब 34 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम नरवल थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़। को घटना में प्रयुक्त 03 अदद बाँस का डण्डा के साथ क्षेत्रान्तर्गत नरवल तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01-मोहित सिंह पुत्र रावेन्द्र सिंह उम्र करीब 28 वर्ष

02-रोहित सिंह उर्फ लोहा सिंह पुत्र गोविन्द सिंह उम्र करीब 29 वर्ष

03-बलराम सिंह पुत्र राकेश सिंह उम्र करीब 34 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम नरवल थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 03 अदद बाँस का डण्डा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह उ0नि0 घनश्याम यादव, का0 गिरजाशंकर, का0 गिरीश कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

एसटीएफ प्रयागराज व थाना महेशगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी — 50 हजार के इनामी अंतर्जनपदीय अपराधी अरशद उर्फ अशद गिरफ्तार

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अंतर्जनपदीय इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त अरशद उर्फ अशद के विरुद्ध जनपद प्रयागराज एवं प्रतापगढ़ में गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संगीन कुल 06 मुकदमे पंजीकृत हैं।

अभियुक्त को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अन्नावा हनुमान मंदिर के पास सेे गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 25.05.2025 को एसटीएफ टीम प्रयागराज एसटीएफ टीम प्रयागराज उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह हे0का0 हबीब सिद्दिकी, हे0का0 संतोष कुमार, हे0का0 पंकज तिवारी, हे0का0 प्रवीण जायसवाल, हे0का0 अजय कुमार यादव, चालक का0 रविकान्त सिंह द्वारा मु0अ0सं0 81/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 50 हजार रूपये का इनामिया अंर्तजनपदीय अभियुक्त अरशद उर्फ अशद पुत्र मंगरु निवासी मुबारकपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

थाना महेशगंज पुलिस के सहयोग से दिनांक 25.05.2025 को एसटीएफ टीम प्रयागराज यूनिट उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अन्नावा हनुमान मंदिर के पास सेे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में महेशगंज पुलिस टीम का सहयोग प्राप्त हुआ।

पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त अरशद उर्फ अशद पुत्र मंगरु निवासी मुबारकपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 40 वर्ष उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

1- अरशद उर्फ अशद पुत्र मंगरु निवासी मुबारकपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 40 वर्ष।

अरशद उर्फ अशद पुत्र मंगरु निवासी मुबारकपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 40 वर्ष का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 107/2019 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 11क पशु क्रूरता अधि0 थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 799/2020 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 11क पशु क्रूरता अधि0 थाना सोरांव जनपद प्रयागराज।

03. मु0अ0सं0 145/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना सोरांव जनपद प्रयागराज।

04. मु0अ0सं0 377/2023 धारा323, 504, 506 भादवि थाना सिविल लाइन्स जनपद प्रयागराज।

05. मु0अ0सं0 39/2024 धारा 3/5क/8 गोवध अधि0 व 11क पशु क्रूरता अधि0 थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

06. मु0अ0सं0 81/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

एसटीएफ टीम प्रयागराज उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह हे0का0 हबीब सिद्दिकी, हे0का0 संतोष कुमार, हे0का0 पंकज तिवारी, हे0का0 प्रवीण जायसवाल, हे0का0 अजय कुमार यादव, चालक का0 रविकान्त सिंह

थानाध्यक्ष महेशगंज मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह हे0का0 शिवेन्द्र सिंह चालक का0 विशाल कुमार यादव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी कृष्णकान्त यादव की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात के बीट आरक्षी कृष्णकान्त यादव ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट आरक्षी कृष्णकान्त यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली देहात के आरक्षी कृष्णकान्त यादव को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा कछरा के पुल के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गोवध अधि0, पशु क्रूरता अधि0, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी कृष्णकान्त यादव के सहयोग से थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-144/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त विजय शंकर पुत्र सधई निवासी ग्राम टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को आज दिनांक 25.05.2025 को कछरा के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- विजय शंकर पुत्र सधई निवासी ग्राम टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 81/23 धारा 3/5(क)/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 20/23 धारा 3/5(क)/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0 46/22 धारा 5(क)/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधि0 तथा 279/337/338/427 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 28/21 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 तथा 419/420/467/468/471/429 भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

5. मु0अ0सं0- 144/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना रानीगंज, प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ में 18 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सघन अभियान की बड़ी सफलता

पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में सफलता।

गिरफ्तारी में सम्मिलित थाने और गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या:-

थाना अंतू – 01 अभियुक्त, थाना कोहंडौर – 02 अभियुक्त, थाना दिलीपपुर – 01 अभियुक्त, थाना आसपुर देवसरा – 01 अभियुक्त, थाना रानीगंज – 05 अभियुक्त, थाना फतनपुर – 01 अभियुक्त, थाना मान्धाता – 01 अभियुक्त, थाना जेठवारा – 01 अभियुक्त, थाना सांगीपुर – 01 अभियुक्त, थाना लीलापुर – 01 अभियुक्त, थाना उदयपुर – 01 अभियुक्त, थाना नवाबगंज – 02 अभियुक्त

सभी गिरफ्तारी अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से दर्ज गंभीर धाराओं में न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट पर की गई।

गिरफ्तारी पुलिस टीमों द्वारा दबिश एवं तलाशी अभियान के दौरान अभियुक्तों के निवास स्थानों से की गई।

अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद पुलिस की सतत कार्रवाई जारी।

थाना अंतू-

थाना अंतू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना अंतू के उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह का0 अनिल कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 1405/2000 अपराध संख्या 138/97 धारा 325,323,504,506 भादवि थाना अन्तू से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त अमरनाथ पुत्र रामफल नि० ग्राम बझोलवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना कोहंडौर-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोहंडौर के उ0नि0 प्रतीक सिंह मय हमराह हे0का0 लालबाबू शुक्ला, का0 मनीष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0न0 6757/24 मु0अ0स0 180 / 23 धारा 354/452/504/506 भादवि थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त राकेश कुमार सरोज पुत्र राम लवट सरोज नि०ग्राम अतरसण्ड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ व मु0न0 18618/23 अ0सं0 111/23 धारा 323/341/504/506 भादवि थाना कोहंडौर से संबंधित अभियुक्त सर्वजीत पुत्र रामसेवक नि०ग्राम हरदोई थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना दिलीपपुर-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर के उ0नि0 कौशलपति मय हमराह हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 2937/09 मु0अ0सं0 44 / 94 धारा 323/325/504/506 भादवि व मु0नं0 608/92 मु0अ0सं0 326/90 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र विशालानन्द पाण्डेय नि0 ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना आसपुर देवसरा-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 श्रीप्रकाश, का0 कैलाश द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एस.टी.220/2011, केश न0 289A/2007 धारा 304/323/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रामसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह नि०ग्राम रमगढ़ा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज के उ0नि0 अश्विनी कुमार पटेल मय हमराह उ0नि0 फिरोज खाँ, उ0नि0 राजनाथ यादव, का0 मुकेश पटेल व का0 अरुण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0 15686/21 अ0सं0 651/20 धारा 143/434/504/506 भादवि व 2/3 लो0स0 क्षति नि0अधि0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 04 वारण्टी अभियुक्तों, 1. लालबहादुर पुत्र मातादीन निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 2. साधूराम पुत्र माताफेर निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 3. देवीलाल विश्वकर्मा पुत्र माताफेर निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

4. राजेश पुत्र बड़ेलाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ व मु0नं0 7514/04 अ0सं0 211/2020 धारा 323/504 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त 5. वृजेन्द्र कुमार पुत्र रामदेव पाल निवासी ग्राम पूरे भइयाजी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना फतनपुर-

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना फतनपुर के उ0नि0 संतोष वर्मा मय हमराह का0 ओमप्रकाश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0अ0सं0 199/2014 धारा 323/504/506/352 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रामलखन पुत्र महाराजदीन निवासी ग्राम कैलिडीह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना मान्धाता-

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना मान्धाता के उ0नि0 कृष्णदत्त शुक्ला मय हमराह का० रणवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान मु0नं0-5030/23 अ0सं0 386/22 धारा 506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त सदाशिव तिवारी पुत्र स्व0 राम मनोहर नि0 जमुआ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना जेठवारा-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना जेठवारा के उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान अ0सं0 297/2012 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त रामकिशन पाण्डेय पुत्र देवी शंकर पाण्डेय निवासी कसहर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना सांगीपुर-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना सांगीपुर के उ0नि0 आकाश शुक्ला मय हमराह का० प्रदीप कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान एसटी नं0 456/2017 अ0सं0 169/2013 धारा 147, 148,452, 323, 325,504,506,427 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01

वारण्टी अभियुक्त पृथ्वीपाल वर्मा पुत्र शिवनारायण वर्मा निवासी ग्राम नेवाजी का पुरवा सरायलाल शाह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना लीलापुर-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना लीलापुर के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह का० प्रवीण कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान अ0सं0 36/16 धारा 138बी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त जवाहर लाल पुत्र पाँचू निवासी शिवगंज कटकावली थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना उदयपुर-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह हे0का० बहाबुद्दीन द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान अ0सं0 159/95 धारा 323, 325,504, भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र जगरुप निवासी ग्राम पण्डित का पुरवा उमरार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना नवाबगंज-

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना नवाबगंज के उ0नि0 रमाकान्त त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 मिथलेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान वाद संख्या 20/13, धारा 147/352/504/506/427 भादवि0 से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 1. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 किशनलाल, 2. मैकूलाल पुत्र वासदेव निवासीगण ग्राम रेवली थाना नवाबगंज प्रतापगढ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

साइबर थाना प्रतापगढ

साइबर क्राइम पुलिस, प्रतापगढ़ द्वारा साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को ₹95,900/- की धनराशि कराई गई वापस-

जनपद प्रतापगढ़ में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर ठगी के पीड़ितों को शीघ्र न्याय और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन श्री संजीव गुप्ता एवं पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष साइबर अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय के निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस टीम, प्रतापगढ़ द्वारा निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में हाल ही में साइबर ठगी से संबंधित प्राप्त 02 शिकायतों में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल ₹95,900/- (पन्चानवे हजार नौ सौ रुपये) की धनराशि पीड़ितों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु की गई प्रमुख कार्रवाई:-

कुल प्राप्त शिकायतें: 02

वापस कराई गई धनराशि: ₹95,900/-

साइबर ठगी के तरीके:-

UPI फ्रॉड

यह सफलता साइबर अपराधों के प्रति प्रतापगढ़ पुलिस की सजगता, तकनीकी दक्षता एवं तत्परता को दर्शाती है। पुलिस टीम द्वारा समयबद्ध तरीके से बैंक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तथा संबंधित एजेंसियों से संपर्क कर धनराशि को होल्ड कराकर उसे पीड़ितों को वापस कराया गया।

आमजन के लिए महत्वपूर्ण सूचना:-

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि,

OTP, पासवर्ड, CVV, UPI पिन आदि किसी के साथ साझा न करें, चाहे सामने वाला व्यक्ति खुद को बैंक, पुलिस या सरकारी अधिकारी ही क्यों न बताए।

SMS, WhatsApp, ईमेल या सोशल मीडिया पर आए अनजान लिंक पर क्लिक न करें – ये फिशिंग या मालवेयर का माध्यम हो सकते हैं।

अनजान कॉलर्स के कहने पर अपने फोन में AnyDesk, TeamViewer, QuickSupport जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स इंस्टॉल न करें।

ऑनलाइन खरीदारी या फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट की प्रमाणिकता जांचें – वेबसाइट का URL https:// से शुरू होना चाहिए और डोमेन नाम विश्वसनीय होना चाहिए।

असली से दिखने वाले जॉब ऑफर, लॉटरी या इन्वेस्टमेंट योजनाओं से सतर्क रहें – अधिक लाभ के लालच में धोखाधड़ी हो सकती है।

अपने सभी खातों के लिए मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड का उपयोग करें, और जहां संभव हो, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (2FA) चालू करें।

अपने मोबाइल और कंप्यूटर का सॉफ़्टवेयर व एंटीवायरस नियमित रूप से अपडेट करते रहें।

अपने बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट की गतिविधियों पर नज़र रखें, कोई संदिग्ध लेन-देन दिखे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें।

सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचें – ठग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।

बच्चों और बुजुर्गों को भी साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दें – वे अक्सर साइबर ठगों का आसान निशाना बनते हैं।

यदि आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं, तो तुरंत करें ये कार्य:

साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या शिकायत करें: www.cybercrime.gov.in

प्रतापगढ़ पुलिस का यह प्रयास भविष्य में साइबर ठगी के मामलों में और अधिक जागरूकता एवं राहत सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

साइबर थाना पुलिस ने बताया कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा हैं, ऐसे में युवाओं को जागरूक करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध रूप से चलाए जा रहे हैं।

पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को दें, और स्वयं तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

– साइबर क्राइम पुलिस टीम, प्रतापगढ़